47

सं0 27/05/2014–एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक, 05.11.2014

10 NOV 2014

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनउ, उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड।

विषयः– दिनांक 18–07–2014 को आयोजित परामर्शीय समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री रामचंद्र, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का कनिष्ठ अधिकारी का उत्तराखंड आवंटन के आधार पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रामचंद्र, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ से कनिष्ठ अधिकारी का उत्तराखंड पुनरावंटन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18–07–2014 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि संबंधित विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ के पंद्रह पदों का आवंटन उत्तराखंड किया गया था जबकि इसमें से केवल चौदह कर्मचारी ही उत्तराखंड में आवंटित हुए और श्री रामचन्द, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ से कनिष्ठ अधिकारियों का आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए हो गया है। अतः समिति द्वारा संस्तुति की गई कि श्री रामचंद्र, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का, इनसे कनिष्ठ अधिकारियों आवंटन उत्तराखंड में होने के आधार पर उत्तराखंड आवंटित किया जाये।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री रामचंद्र, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का कनिष्ठ अधिकारीयों का आवंटन होने के आधार पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य के लिये किया जाता है।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए एवं तदनुसार उपर्युक्त आदेश पारित किया जाये ।

L. N. Bhawan
Receipt & Issued Section
10 NOV 2014
जारी किया/ISSUED

भवदीय
(अजीत कुमार)
अवर सचित, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषितः–
1. प्रमुख सचित, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46 बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनउ।
2. सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून।
3. श्री रामचंद्र, प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, सामुदायिक स्वथ्य केंद, चंपावत, उत्तराखंड।